



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273784
CG-DL-E-24062026-273784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3239]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 3239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3372(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो राज्य सभा के उस स्थान को, जो एक सदस्य की पदावधि के अवसान पर, जो उसके तारीख 23 जून, 2026 को सेवानिवृत्त हो जाने पर रिक्त हो गया था, भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)/ उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि—

श्री ताई तगक,

म.सं. – ई-78, पचिन कालोनी, नहरलगुन,

पी.ओ./पी.एस. नहरलगुन,

जिला पपुम पारे, अरुणाचल प्रदेश

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं उस सदन में 1 (एक) सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर, तारीख 23-06-2026 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान ईटानगर

11 जून, 2026

ह/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/4/2026-वि02]

अकाली वी. कोंघे, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the June 24th, 2026

S.O. 3372(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, who retired on 23rd June, 2026, on the expiration of his term of office, is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh.

“In pursuance of the provisions contained in under sub-section (2)/ sub-section (3) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Shri Tai Tagak,

H.No.- E-78, Pachin Colony, Naharlagun,

P.O. / P.S. Naharlagun,

District Papum Pare, Arunachal Pradesh

Sponsored by the **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House of Council of State. 1 (One) Member retiring on 23-06-2026 on the expiry of his term of office.

Place Itanagar

the 11th June, 2026.

Sd-

Returning Officer”.

[F. No. H-11024/4/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3373(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2754(अ), तारीख 1 जून, 2026 के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के एक सदस्य के स्थान को, जो एक सदस्य की पदावधि के अवसान पर, 23 जून, 2026 को निवृत्त होने पर रिक्त हो गया है, भरने के प्रयोजन के लिए, निर्वाचन कराया गया है ;

अतः. अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित किये गये सदस्य का नाम, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :-

सदस्य का नाम	राज्य
श्री ताई तगक	अरुणाचल प्रदेश

[फा. सं. एच-11024/4/2026-वि02]

अकाली वी. कोंघे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the June 24th, 2026

S.O. 3373(E).— Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O. 2754 (E), dated 1st June, 2026 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of one member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh which fell vacant on the retirement of one member on the expiration of his term of office on 23rd June, 2026;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh is hereby notified for general information:

Name of the Member	State
Shri Tai Tagak	Arunachal Pradesh

[F. No. H-11024/4/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.